न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2019

1. मदन लाल पुत्र बीरबलराम
2. नेतराम पुत्र बीरबलराम
3. बृजलाल पुत्र ईशरराम
4. ओप्रकाश पुत्र लाभूराम
5. मोहनलाल पुत्र हरीराम
6. लीलाधर पुत्र रामकुमार
7. राजाराम पुत्र ओमप्रकाश
8. रामरतन पुत्र मुखराम
9. मांगीलाल पुत्र चन्दूराम
10. हेतराम पुत्र हरखाराम
11. किरसनलाल पुत्र नन्दराम
12. कृष्णलाल पुत्र नानूराम
13. हेतराम पुत्र मगनाराम
14. रणजीत पुत्र बृजलाल
15. गोपीराम पुत्र हंसराज
16. लालचन्द पुत्र धुकलराम
17. मनफूल पुत्र आसाराम
18. नेतराम पुत्र दुर्गादत्त
19. विष्णुदत्त पुत्र धुकलराम

(1–19) जाति जाट निवासीगण राणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

20. मनीराम पुत्र रेखराम जाति नायक निवासी राणीसर तहसील लूनकरनसर।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर
2. ग्राम पंचायत रामबाग जरिए सरपंच
3. देवीलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेरं

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित :–

1 श्री लालचन्द जाट प्रार्थीगण वकील
2 श्री नेतराम सियाग अप्रार्थी वकील
3 पेरोकार राज।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा एवं रेकार्ड ऑफ राईट्स दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्[illegible] एक्ट 1956

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:53 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 23/07/2021

प्रार्थीगण–अप्रार्थी वकील एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस [illegible] के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से श्री लालचन्द जाट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण सहित गांव के अन्य व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डों के पट्टे ग्राम पंचायत रामबाग द्वारा आबादी भूमि ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 90/3 तादादी 46.05 बीघा, खसरा नम्बर 99/13 तादादी 24 बीघा, खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर

99/15 तादादी 15 बीघा में जारी किये हुए है जिन पर प्रार्थीगण का 40 सालों से अधिक समय से कब्जा एवं दखल चला आ रहा है प्रार्थीगण के उक्त भूखण्डों में आवासीय मकान बने हुए है जिनमें लाईट पानी के कनेक्शन लिये हुए है उक्त भूमि का आबादी भूमि के रूप में शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे हैं। मौजा रोही राणीसर के मूल खसरा नम्बर 90 व 99 में कुल रकबा अधिक है उक्त खसरा नम्बर के कुल रकबे में से 46.05 बीघा खसरा नम्बर 90/3 व 39 बीघा खसरा नम्बर 99/13 , 99/15 ग्राम पंचायत आबादी (गैर मुमकिन आबादी) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा राजस्व नक्शा में लाल स्याही से तरमीम कर पैमूद किया हुआ है उक्त तरमीम के अनुसार ग्राम पंचायत ने आवासीय भूखण्डों के पटअे जारी किये जिन पर प्रार्थीगण सहित गांव के अन्य रिहायश कर रहे हैं। मौजा रोही राणीसर में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सन 2009 से 2011 के मध्य भू प्रबन्ध की कार्यवाही करके पुराना खसरा नम्बर 90/3 के नये खसरा नम्बर 245 तादादी 11.70 हैक्टेयर व पुराना खसरा नम्बर 99/13, 99/15 का नया खसरा नम्बर 246 तादादी 9.86 हैक्टेयर बनाबर मिसल बन्दोबस्त में ग्राम पंचायत आबादी के नाम से दर्ज कर रेकॉर्ड वापिस राजस्व विभाग को सुपुर्द किया है भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार जमाबन्दी व नक्शा की नकल लेने पर जानकारी हुई कि भू प्रबन्ध विभााग ने पुराना खसरा नम्बर 90/3 का नया खसरा नम्बर 245 व पुराना खसरा नम्बर 99/13, 99/15 का नया खसरा नम्बर 246 बनाकर नक्शा में जिस प्रकार से तरमीम किया गया है वह पुराने राजस्व रिकार्ड की तरमीम व भौतिक कब्जे अधिभाग के विपरित होने से अवैध एवं शून्य है ।

भू प्रबन्ध विभाग के अमला ने पुराना खसरा नम्बर 90/3 व 99/13, 99/15 के पुराने नक्शें में की गई तरमीम से पूर्णतय हटकर विपरीत दिशा में जाकर नये नक्शें में तरमीम की है भू प्रबन्ध विभाग ने जहां पर आबादी भूमि बसी हुई है उस भूकि को आराजीराज खसरा नम्बर 244 में मिनसका तामरम का उिश्स तथ्सस पश्स ,सयास पम्बा 243 की पष्चिम दिशा की आराजीराज भूमि को खाली पडी है को नया खसरा नम्बर 245 में शामिल कर आबादी भूमि के रूप में तरमीम किया है तथा नया खसरा नम्बर 246 को पश्चिम दिशा में खिसकाकर नया खसरा नम्बर 2447 जोहड पायतन के बीच तक तरमीम किया है जबकि भू प्रबन्ध से पहले आबादी भूमि की तरमीम नया खसरा नम्बर 246 पुराना खसरा नम्बर 92 जोहड पायतन की भूमि से पूर्व दिशा में तरमीम किया हुआ था तथा नया खसरा नम्बर 242 की तरमीम भी भू प्रबन्ध विभाग ने आबादी भूमि पर की है जबकि नया खसरा नम्बर 242 से पूर्व दिशा में नया खसरा नम्बर 235 पर चला आ रहा है इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग ने नये खसरा नम्बर 242,244,245,246 की तरमीम पूर्व में की गई तरमीम के विपरीत की है जो बिल्कुल गलत अवैध एवं शून्य हैं। उपरोक्त दुरूस्ती करने से नया खसरा नम्बर 242,244,245[illegible] के मूल रकबे पर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी ना ही किसी खसरा [illegible] रकबा घटेगा या बढेगा मात्र स्थिति में परिवर्तन की भूमि [illegible] दुरूस्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.03.10 14:03:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण नया खसरा नम्बर 242,244,245,246,249 की तरमीम को निरस्त करवाकर पुराना खसरा नम्बर 90/3, 99/13, 99/[illegible] जो भू प्रबन्ध की पैमाइश से पूर्व राजस्व नक्शा में तरमीम किया हुआ था एवं जहां पर आबादी बसी हुई है के अनुसार नया नक्शा के खसरा नम्बर 242, 244, 245, 246 की तरमीम दुरूस्त करवाने के हकदार है ।

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

अतः वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौजा रोही राणीसर के नया खसरा नम्बर 242,244,245,246 की तरमीम को निरस्त कर भू प्रबन्ध विभाग से पूर्व में की गई तरमीम व जहां पर आबादी बसी हुई के अनुसार नया खसार नम्बर की तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नाटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार किये गए एवं कहा गया कि नई तरमीम निरस्त की जाती है तो पूर्व में तरमीम एवं कब्जा अनुसार तीममी की जाती है उन्हे कोई आपत्ति नहीं हैं। ग्राम पंचायत रामबाग की ओर सरपंच रामबाग द्वारा पेश जवाब में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार किया गया एवं पुराने कब्जे के अनुसार तरमीम पर कोई एतराज नहीं है का जवाब पेश किया गया है। पेरोकार राज द्वारा पेश जवाब में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 के लिखे तथ्य रिकार्ड के अनुसार स्वीकार किये एवं मुख्य विवाद तरमीम का है पुराने और नये नक्शे की तरमीम में अन्तर है जो दुरूसत करने का निवेदन किया साथ ही प्रार्थीगण ने स्टेट से किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही है अतःमुख्य विवाद प्रार्थीएवं अप्रार्थी 2 व 3 के बीच है इसमें राज्य का हित प्रभावित नहीं होने का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रार्थीगण वकील की ओर से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2071–2074 मौजा रोही राणीसर पटवार हल्का अरजनसर स्टेशन खसरा नम्बर 245 तादादी 11.70 हैक्टेयर , ख.न. 244 तादादी 1.83 हैक्टेयर, प्रतिलिपि ख.न. 242 तादादी 6.32 हैक्टेयर, जमाबन्दी संवत् 2067–2070 में ख.न 90/3 में तादादी 46.05 बीघा,ख.न 99/13 में तादादी 24 बीघा, ख.न 99/15 में तादादी 15 बीघा , ख.न 92 में तादादी 0.15 हैक्टेयर गै.मू. जोहड़ एवं आंशिक नजरी नक्शा, पुराने अवासीय पट्टा की छाया प्रतिया आदि दस्तावेज पेश किये गए जो शामिल पत्रावली हैं।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का घ्यानपुर्वक अध्ययन किया । पटवार हल्का अरजनसर स्टेशन मौजा रोही राणीसर के नया खसरा नम्बर 242,244,245,246,249 की तरमीम एवं पुराना खसरा नम्बर 90/3, 99/13, 99/15 जो भू प्रबन्ध की पैमाइश से पूर्व राजस्व नक्शा में तरमीम किया हुआ था के रिकॉर्ड दस्तावेज एवं नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई नई तरमीम में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पुराने नक्शे का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि नई तरमीम पुराने कब्जे एवं आबादी के विपरित की गई जिससे राजस्व रिकॉर्ड में सहीं अंकन नहीं हुआ हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नये खसरा नम्बर 242,244,245,246 की तरमीम को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को मौका जांच कर पुराने खसरा नम्बर के पुराने नक्शे में तरमीम के आधार पर नये सिरे से तरमीम कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:03:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर